क्रम संख्या–10 (झ) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 09 जनवरी 2018 ई0

पौष 19, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 31/XXXVI (3)/2018/87(1)/2017

देहरादून, 09 जनवरी, 2018

## अधिसूचना

## विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017'** पर दिनांक 05 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2018 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2017

(अधिनियम संख्या 07, वर्ष 2018)

(उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य के अढ़सठवें वर्ष में अधिनियमित)

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2016) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**धारा 3 का संशोधन** 2. उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2016) जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की उपधारा (3) में –

(एक) खण्ड (ख) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(ख) निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, जो परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा।"

(दो) खण्ड (ख–1) निरसित समझा जायेगा।

**धारा 7 का संशोधन** 3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

"(2) अध्यक्ष परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में परिषद का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो खण्ड (ड.) या खण्ड (च) के अधीन निर्वाचित कोई ज्येष्ठ सदस्य अध्यक्ष होगा और वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।"

आज्ञा से,

**आलोक कुमार वर्मा,**
**प्रमुख सचिव।**

## उद्देश्य और कारणों का कथन

1. प्रदेश के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में दीनी शिक्षा व आधुनिक विषयों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली मुस्लिम संस्थाओं के पंजीकरण, अधीक्षण एवं निर्देशन सम्बन्धी कार्य हेतु एक शासकीय निकाय की आवश्यकता के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2016" (अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2016) प्रख्यापित किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत परिषद् के अध्यक्ष के रूप में परम्परागत मदरसा शिक्षा क्षेत्र के प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविदों या प्रतिष्ठित मुस्लिम समाजसेवा क्षेत्र के व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने का प्राविधान है, जबकि धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत निदेशक, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पदेन उपाध्यक्ष हैं।

2. "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016" (उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 26, वर्ष, 2016) द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) को संशोधित करते हुए परिषद् में परम्परागत मदरसा शिक्षा क्षेत्र के प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविदों या प्रतिष्ठित मुस्लिम समाजसेवा क्षेत्र के व्यक्तियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जा सकने वाले 01 "कार्यवाहक अध्यक्ष" व 02 "उपाध्यक्ष" के पदों का सृजन किया गया है।

3. चूंकि उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् पूर्णतया शैक्षणिक निकाय है। अतएव परिषद् में शासकीय क्षेत्र के शिक्षाविदों की प्रधानता एवं राजनैतिक क्षेत्र के शिक्षाविदों के हस्तक्षेप को सीमित रखने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम, 2016" में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

यशपाल आर्य
मंत्री,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड सरकार।